उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक : –निदे0(मा0सं0) / उपाकालि / अनु0का0ई0–19 दिनांकः 07/09/2022

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा श्रीमती रीता रानी पंवार, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (कां0में0), उपाकालि, वि0क्रॉ0वि0गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को "स्वामी विवेकानन्द सुभारती यूनिवर्सिटी, मेरठ" से पत्राचार (Distance Learning) के माध्यम से शिक्षण सत्र 2022–2023 में संचालित एम0बी0ए0 (HR&IT) प्रथम वर्ष (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) करने एवं तत्सम्बन्धित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अधोवर्णित प्रतिबन्धों के अधीन कार्यालयेत्तर अध्ययनार्थ अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. उक्त अध्ययन के कारण कारपोरेशन कार्य सम्पादन में किसी प्रकार का ह्रास उत्पन्न न हो तथा कार्यक्षमता में न तो किसी प्रकार की शिथिलता उत्पन्न हो और न अपने कर्तव्य पालन की उपेक्षा हो।
2. यदि ऐसा भासित होगा कि कार्य में शिथिलता आ गयी है या कार्य सम्पादन में ह्रास उत्पन्न हो गया है अथवा उक्त अनुमति देना कारपोरेशन के हित में नहीं है तो प्रदान की गयी अनुमति को कारपोरेशन किसी भी समय बिना कोई पूर्व सूचना के तत्काल निरस्त कर देगा।
3. अनुज्ञा प्राप्त होने के फलस्वरूप अपने अवकाश / तैनाती अथवा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में किसी प्रकार की विशेष सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
4. प्रश्नगत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर कारपोरेशन उसका लाभ देने के लिए बाध्य नहीं होगा।
5. उपर्युक्त अनुमति से सम्बन्धित परीक्षा की तैयारी के लिए किसी प्रकार का अवकाश सामान्यतः कारपोरेशन एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए ही अनुमन्य होगा।
6. एक वर्ष से अधिक पाठ्यक्रम / अध्ययन के लिए प्रतिवर्ष नवीन अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
7. उन्नत, उच्चतरीय अथवा विशिष्ट अध्ययन एवं तकनीकी विषयों के सम्बन्ध में भी उपरिवर्णित प्रतिबन्धों के अधीन ही अनुमति प्रदान की जायेगी।
8. सम्बन्धित कार्मिक का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि विषयगत / सम्बन्धित पाठ्यक्रम / डिग्री / संस्थान इत्यादि, कारपोरेशन नियमों / प्राविधानों के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हो, अन्यथा की स्थिति में प्रदत्त विभागीय अनुमति को स्वतः निरस्त माना जायेगा।

निदेशक(परिचालन)

संख्या–3717 –निदे0(मा0सं0) / उपाकालि / अनु0का0ई0 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव–निदेशक(परिचालन / मा0सं0), उपाकालि, वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।

2– अधिशासी अभियन्ता(का0में0), उपाकालि, वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।

3– अधिशासी अभियन्ता(सू0प्रौ0), उपाकालि, वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।

4– सम्बन्धित कार्मिक / कार्यालय ज्ञाप पत्रावली / वैयक्तिक पत्रावली।

R.Singh

(रघुराज सिंह)

अधीक्षण अभियन्ता(मा0सं0)